1	2	3
	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

23.5.2023

न्यायालयः— भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर।

विविध अपील वाद सं0 03/2019–20

हरिचन्द्र यादव वगैरह ..... अपीलार्थी।

बनाम्

बाबा सिद्धार्थ गौतम राम वगैरह ..... प्रत्यर्थी।

आदेश

अभिलेख अन्तिम निस्तारण हेतु उपस्थापित। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, रमना के नामांतरण वाद सं0 397/2008–09 में पारित आदेश के विरूद्ध ग्राम कोरगा थाना रमना के मांगपंजी 2 के पेज नं0 ..... पर कायम है उसे जमाबंदी सुधार/रद्द करने हेतु अपील आवेदन पत्र दिया गया है। अपील आवेदन पत्र को अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, रमना से मूल अभिलेख एवं जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, रमना से मूल अभिलेख एवं जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

उभय के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि:— 01 आवेदकगण ग्राम कोरगा के देही रैयत है।

02 आवेदकगण के पिता स्वर्गीय जानकी महतो को उनके जीवन काल में ही भूतपूर्व जमींदार ने ग्राम कोरगा के खाता नं0 31 प्लॉट नं0 599 में रकबा 1.25 एकड़ तथा खाता नं0 5 प्लॉट नं0 596 में 2.10 एकड़ कुल रकबा 3.35 एकड़ भूमि सलामी लेकर बन्दोबस्त कर दी थी एवं प्रमाण स्वरूप जमींदारी रसीद जानकी महतो को प्रदान कर दी थी। जमींदारी काल तक जीतन महतो उक्त भूमि का लगान देकर सरकारी मालगुजारी रसीद कटाते आए। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात अज्ञान्तावश उक्त भूमि का जमाबंदी अपने नाम से कायम नहीं करा सके लेकिन भूमि के जोत कोड दखल कब्जा में रहे।

03 प्रश्नगत प्लॉट पर आवेदकगण के पिता जानकी महतो के जमींदारी रसीद व दखल कब्जा को देखते हुए रकबा 1.96 एकड़ भूमि का खाता जानकी महतो को वर्तमान सर्वे में प्राप्त हुआ शेष रकबा हेतु जानकी महतो (यादव) ने राजस्व पदाधिकारी पलामू के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 2561/2010 दाखिल किया है जो सुनवाई हेतु लम्बित है उक्त वाद में गत सर्वे के खाता नं0 599 से बने नए प्लॉट 1143 रकबा 0.02 एकड़ तथा प्लॉट नं0 1145 रकबा 0.92 एकड़ भूमि है जिसका नया खाता 115 है।

04 गत सर्वे के प्लॉट नं0 599 का कुल खतियानी रकबा 4.50 एकड़ तथा प्लॉट नं0 596 का कुल रकबा 5.87 एकड़ है।

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

05 आवेदकगण ने निबंधित दस्तावेज संख्या 5648 दिनांक 20.07.2000 ई0 में प्रश्नगत प्लॉट नं0 599 में रकबा 0.30 एकड़ भूमि श्री चितरंजन सिंह पिता स्वर्गीय शंभुनाथ सिंह से अन्य प्लॉट के साथ क्रय की है एवं उसके दखल कब्जा में है। उक्त भूमि का नामांतरण भी आवेदकगण के नाम से हो चुका है जिसकी जमाबंदी आवेदकगण के नाम से ग्राम कोरगा के मांग पंजी 2 के पेज नं0 ..... पर कायम है।

आवेदकगण के पिता के नाम बन्दोबस्त भूमि एवं केवाला द्वारा क्रय की गई भूमि एक ही जगह है। आवेदकगण के पास प्रश्नगत प्लॉट नं0 599 में रकबा 1.25 एकड़ बन्दोबस्त भूमि रकबा 0.30 एकड़ क्रय की गई भूमि तथा प्लॉट नं0 596 में रकबा 2.10 एकड़ बन्दोबस्त भूमि कुल रकबा 3.65 एकड़ भूमि हासिल है जिस पर आवेदकगण का दखल कब्जा है।

06 प्रश्नगत प्लॉट नं0 596 एवं प्लॉट नं0 599 की भूमि पर आवेदकगण एवं राजकुमार सिंह वगैरह के बीच धारा 144 द0प्र0सं0 की कार्रवाई चली थी। जिसका वाद सं0 1175/2018 है जिसमें अनुमण्डल दण्डाधिकारी नगर उंटारी ने अंचल अधिकारी रमना से जॉच प्रतिवेदन की मांग की थी। विद्वान अंचल अधिकारी रमना ने उक्त वाद में अपना प्रतिवेदन दिया है, अपने जॉच प्रतिवेदन में श्री जीतन यादव पिता स्व0 जानकी यादव ग्राम पोस्ट मड़वनीया थाना रमना के खाता नं0 31 प्लॉट नं0 599 कुल रकबा 4.50 एकड़ एवं खाता नं0 5 प्लॉट नं0 596 रकबा 5.87 एकड़ का स्थानीय जॉच हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा कराया गया एवं पाया गया कि विवादित प्लॉट पर प्रथम पक्ष जीतन यादव वगैरह पिता स्वर्गीय जानकी यादव का खाता नं0 5 प्लॉट नं0 596 में हाल सर्वे खतियान प्राप्त है, एवं लगान रसीद निर्गत है तथा प्लॉट नं0 1143 रकबा 1.96 एकड़ का खतियान प्राप्त है एवं लगान रसीद निर्गत है। तथा प्लॉट नं0 1143 रकबा 0.02 एकड़ में पुराना मकान है जिस पर प्रथम पक्ष जीतन यादव का कब्जा पाया गया। जीतन यादव के द्वारा मालगुजारी रसीद आसामी को दिया जाने वाला लगान रसीद दिखाया गया जिसमें जमींदार बाबु रामख्याल सिंह पिता बाबु हितनारायण सिंह के द्वारा खाता नं0 5 प्लॉट नं0 596 रकबा 2.10 एकड़ तथा खाता नं0 31 प्लॉट नं0 599 रकबा 1.25 एकड़ कुल रकबा 3.35 एकड़ भूमि दर्ज है उक्त खाता प्लॉट एवं रकबा आसामी व जानकी महतो पिता तोखी महतो को दिया गया है। प्रथम पक्ष का जमींदारी लगान रसीद के अनुसार दखल कब्जा पाया गया जिसमें धान का फसल लगा है।

द्वितीय पक्ष विवादित खाता नं0 31 प्लॉट नं0 599 रकबा 2.00 एकड़ एवं खाता नं0 5 प्लॉट नं0 596 रकबा 3.00 एकड़ भूमि को क्रेता बाबा सिद्धार्थ गौतम राम संस्थापक बाबा किन्ना राम पिता स्वर्गीय अक्षुत राम के

लगातार .....

Scanned with CamScanner

1	2	3
	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

द्वारा क्रय किया गया है। जिसके विक्रेता ललित सिंह पिता सुरेन्द्र सिंह है। उक्त खाता प्लॉट एवं रकबा विवादित भूमि के अन्दर है जिस पर चाहारदीवारी का निर्माण कार्य चल रहा था। वर्तमान में निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है।

07 विविध वाद सं0 1175/2018 धारा 144 द0प्र0सं0 के दरमयान कार्रवाई आवेदकगण को ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत प्लॉट की विक्रीनामा ललित कुमार सिंह पिता स्व0 सुरेन्द्र सिंह ने बिना जरसम्मन लिए विपक्षी संख्या 1 बाबा सिद्धार्थ गौतम राम के नाम से विक्री कर दी है। केवाला निष्पादन के पश्चात भी विपक्षी संख्या 1 कभी भी प्रश्नगत प्लॉट की भूमि पर दखल काविज नहीं हुए। जैसे ही आवेदकगण को उक्त आदेश की जानकारी हुई उन्होंने अंचल कार्यालय में नकल हेतु आवेदन दिया लेकिन अभिलेख का कही पता नहीं चला फलतः आवेदक ने समाजिक कार्यकर्त्ता राजकुमार महतो के माध्यम से सूचना अधिकार के तहत उक्त केवाला के नामांतरण की प्रक्रिया का विवरण अंचल से मांगा लेकिन अंचल कार्यालय विपक्षी संख्या 1 एवं 2 के प्रभाव में आकर उक्त अभिलेख का नकल नहीं दिया फलतः राजकुमार महतो ने विद्वान अपर समाहर्त्ता सह प्रथम अभिलेख प्राधिकार गढ़वा के समक्ष अपील दाखिल किया तत्पश्चात नामांतरण वाद सं0 397/2008–09 के अभिलेख का विवरण का पता चला एवं उसकी प्रति सूचना अधिकार के तहत अधुरी जानकारी दिनांक 11.01.2019 ई0 को राजकुमार महतो को प्राप्त हुई।

08 नामांतरण वाद सं0 397/2008–09 में पारित आदेश की जानकारी एवं अभिलेख का विवरण आवेदकगण को राजकुमार महतो के माध्यम से दिनांक ..... को प्राप्त हुई। फलतः उक्त नामांतरण की कार्यवाई की अपील की सीमा समाप्त हो जाने के चलते आवेदकगण ने उनके नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु आवेदन पत्र निम्नांकित आधार पर दाखिल कर रहा है।

आधार

(क) नामांतरण वाद सं0 397/2008–09 ई0 में पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है एवं उक्त नामांतरण के आधार पर विपक्षी सं0 1 के नाम से कायम जमाबंदी अनुचित व अवैध है जो रद्द करने योग्य है।

(ख) विपक्षी सं0 1 के नाम से निबंधित केवाला बिना जरसम्मन प्रदान किए किया गया है।

(ग) स्थल पर विपक्षी संख्या 1 एवं 2 का कभी भी दखल कब्जा नहीं रहा जबकि दाखिल खारिज में दखल कब्जा मुख्य बिन्दू होता है।

(घ) वर्तमान सर्वे में प्रश्नगत प्लॉट पर आवेदकगण के पिता के नाम से

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

खाता मिला है जो उनके दखल कब्जा को भी प्रमाणित करता है।

(च) गत सर्वे के प्लॉट नं0 599 में बने नये प्लॉट नं0 1143 एवं 1144 का जो खाता राजकुमार सिंह वगैरह के नाम से बना है उसके लिए आवेदक के पिता ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 87 के तहत राजस्व वाद दाखिल किया है जिसका वाद संख्या 2561/2000 है।

(छ) विपक्षी संख्या 1 के नाम से नामांतरण की कार्यवाई हुइ है उसमें नामांतरण की पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है विद्वान अंचल अधिकारी ने स्वय स्थल का निरीक्षण नहीं किया केवल टेबल वर्क के माध्यम से नामांतरण की कार्यवाई की है जो खारिज योग्य है।

(ज) सुरेन्द्र प्रसाद सिंह की जमाबंदी में प्रश्नगत प्लॉट की विवरण दर्ज नहीं है चूँकि उन्हे ग्राम रोहिला के भूमि हिस्सा में मिली थी गॉव कोरगा की भूमि अन्य जमींदार को हिस्सा में मिली थी जिसमें आवेदकगण के पिता ने बन्दोवस्ती द्वारा प्राप्त की है।

(झ) विपक्षी सं0 2 ने बिना अधिकार के बिना दखल कब्जा वाली भूमि की विक्रीनामा विपक्षी सं0 1 के नाम से की है जो उचित नहीं है एवं उक्त केवाला के आधार पर कायम **जमाबंदी रद्द** करने योग्य है।

अतः आवेदकगण के द्वारा नामांतरण वाद सं0 397/2008–09 ई0 में पारित आदेश के आलोक में जो जमाबंदी विपक्षी संख्या 1 के नाम से कायम की गई है उसे **रद्द करने की कार्यवाई करने हेतु** अनुरोध किया गया है।

आवेदक के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है।

01 राजस्व वाद सं0 2561/2008 का छायाप्रति ..... 02 फर्द
02 अंचल के जॉच प्रतिवेदन की छायाप्रति ..... 03 फर्द
03 अधिकार का अभिलेख की छायाप्रति ..... 01 फर्द
04 मालगुजारी रसीद की छायाप्रति ..... 03 फर्द
05 मांगपंजी 2 की छायाप्रति ..... 01 फर्द
06 जानकी यादव के नामे निर्गत सादा पट्टा का छायाप्रति .. 01 फर्द
07 लिखित मापी प्रतिवेदन की छायाप्रति ..... 02 फर्द
08 गत सर्वे का रेकार्ड ऑफ राईट खाता नं0 35 ..... 01 फर्द
09 ग्राम मड़वनिया के नक्शा की छायाप्रति ..... 01 फर्द

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि :– 01 अपीलार्थी के द्वारा दायर वाद गलत एवं बेबुनियाद है जो खारिज योग्य है।

02 अपीलार्थी ने अपने आवेदन में जितने भी तथ्य किए है उसे प्रत्यर्थी पूर्णतः अस्वीकार करते है।

03 अपीलार्थी का रंजमात्र के लिए भी भूमि पर दखल कब्जा नहीं है इस पर प्रत्यर्थी का दखल कब्जा है जो प्रत्यर्थी के द्वारा अपनी खरीदी भूमि प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम है ने चाहर दिवारी का निर्माण कर लिया है।

लगातार .....

Scanned with CamScanner

1	2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	

04 वास्तविकता यह है कि प्रश्नगत भूमि के जमींदार बाबु केशर सिंह के भाई रामख्याल सिंह ने प्रश्नगत भूमि बाबु रामख्याल सिंह की थी उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र सुरेन्द्र सिंह के नाम प्रश्नगत भूमि का एम0 रौल तैयार हुआ तथा लगान रसीद कटी। रामख्याल सिंह ने सुरेन्द्र सिंह को प्रश्नगत भूमि लिख दिए तथा रिर्टन में नाम दिए।

05 सुरेन्द्र सिंह का मांग मांगपंजी 2 के पृष्ट सं0 26/1 पर कायम है।

06 प्रत्यर्थी सं0 2 सुरेन्द्र प्रसाद सिंह के पुत्र है सुरेन्द्र प्रसाद सिंह की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि पर प्रत्यर्थी सं0 2 ललित कुमार सिंह का दखल कब्जा आया इन्होंने ग्राम कोरगा के खाता 31 प्लॉट नं0 599 में रकबा 2.00 एकड़ एवं खाता 5 प्लॉट नं0 596 में रकबा 3.00 कुल रकबा 5.00 एकड़ भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 से बिक्री कर दखल कब्जा सौंप दिए।

07 केवाला सं0 61 दिनांक 06.06.2008 से प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रत्यर्थी संख्या 2 से केवाला द्वारा भूमि क्रय किए एवं दखल कब्जा में आए एवं नामांतरण हेतु आवेदन दिए जिसपर नामांतरण वाद सं0 397/2008–09 अभिलेख कायम हुआ एवं दखल कब्जा पाकर प्रत्यर्थी सं0 1 के नाम नामांतरण स्वीकृत कर लगान रसीद निर्गत किया गया।

08 सुरेन्द्र सिंह की जमाबंदी काफी पुरानी थी उक्त पुरानी जमाबंदी को निरस्त नहीं किया जा सकता है उनके विरूद्ध अपीलार्थी ने कोई वाद संस्थापित नहीं कराया प्रत्यर्थी का नामांतरण सुरेन्द्र प्रसाद सिंह की जमाबंदी से किया गया है जब सुरेन्द्र प्रसाद सिंह के विरूद्ध कोई वाद नहीं तो प्रत्यर्थी के विरूद्ध क्यों विचारणीय बिन्दू है।

09 स्थल जॉच में प्रश्नगत भूमि प्रत्यर्थी के चाहर दिवारी के अन्दर है।

10 हाल सर्वे के खाता प्रत्यर्थी संख्या 2 के पिता के नाम बना है।

अतः प्रत्यर्थी के द्वारा दाखिल अपील प्रत्युत्तर स्वीकार करते हुए अपीलार्थी का आवेदन अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रत्यर्थी के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है।

01 सिविल अपील वाद सं0 01/2023 की छायाप्रति ..... 12 फर्द
02 केवाला सं0 61 का छायाप्रति ..... 08 फर्द
03 मांगपंजी 2 की छायाप्रति ..... 01 फर्द
04 आम–इस्तेहार की छायाप्रति ..... 01 फर्द
05 लगान रसीद की छायाप्रति ..... 02 फर्द
06 शुद्धि पत्र की छायाप्रति ..... 01 फर्द
07 एम रौल की छायाप्रति ..... 10 फर्द
08 जमींदारी रसीद की छायाप्रति ..... 04 फर्द
09 मांगपंजी 2 सुरेन्द्र प्रसाद सिंह के नामे की छायाप्रति .. 01 फर्द
10 लगान रसीद की छायाप्रति ..... 02 फर्द
11 हाल सर्वे के खतियान की छायाप्रति ..... 01 फर्द

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

अंचल अधिकारी, रमना के द्वारा पत्रांक 743 दिनांक 12.12.2022 से प्रतिवेदित किया गया है कि "ग्राम कोरगा के खाता सं0 31 प्लॉट सं0 599 रकबा 1.25 एकड़ एवं खाता सं0 5 प्लॉट सं0 596 रकबा 2.10 एकड़ भूमि पर जीतन यादव वगैरह पिता स्व0 जानकी यादव का दखल एवं जोत–कोड़ पाया गया। खाता सं0 5 पुराना प्लॉट सं0 596 से हाल सर्वे के अनुसार खाता सं0 35 नया, प्लॉट सं0 1144 नया रकबा 1.96 एकड़ का खतियान जानकी महतो को प्राप्त है, एवं लगान रसीद निर्गत है, प्लॉट सं0 1143 रकबा 0.02 एकड़ भूमि पर पुराना कच्चा मकान पाया गया जिस पर जीतन यादव का कब्जा पाया गया। जीतन यादव द्वारा जमींदारी रसीद आसामी को दिया जाने वाला लगान रसीद दिखाया गया, जिसमें जमींदार बाबु रामख्याल सिंह पिता बाबु हित नारायण सिंह के द्वारा खाता सं0 5 प्लॉट सं0 596 रकबा 2.10 एकड़ तथा खाता सं0 31 प्लॉट सं0 599 रकबा 1.25 एकड़ कुल रकबा 3.35 एकड़ भूमि जमींदारी पट्टा पर दर्ज है, उक्त खाता प्लॉट एवं रकबा आसामी जानकी महतो पिता सोखी महतो को दिया गया है। जमींदारी लगान रसीद के अनुसार जीतन यादव पिता स्वर्गीय जानकी महतो वगैरह का दखल कब्जा पाया गया।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर के द्वारा पत्रांक 306/रा0, दिनांक 10.02.2023 से कार्यपालक दण्डाधिकारी, श्री बंशीधर नगर से प्रश्नगत भूमि का स्थल जॉच प्रतिवेदन का मांग किया गया। जिस पर कार्यपालक दण्डाधिकारी, श्री बंशीधर नगर के द्वारा पत्रांक 361 दिनांक 17.03.2023 से प्रतिवेदित किया गया है कि "नामांतरण अपील वाद सं0 03/2019–20 में वर्णित भूमि खाता सं0 31 पुराना प्लॉट सं0 599 पुराना रकबा 2.00 एकड़ एवं खाता सं0 5 प्लॉट सं0 596 रकबा 3.00 कुल रकबा 5.00 एकड़ भूमि का स्थल जॉच किया गया। नामांतरण वाद संख्या 397/2008–09 में आदेश के बाद बाबा सिद्धार्थ गौतम राम संस्थापक अध्यक्ष बाबा कीना राम पिता अवधुत भगवान राम के नाम से मांगपंजी 2 के पृष्ट सं0 82/3 में चलती है और राजस्व रसीद वर्ष 2015–16 तक निर्गत है। स्थल पर इनका दखल कब्जा है। तीन ओर चाहरदिवारी एवं जिधर विवाद है फेंन्सिग तार से घेराबंदी है एवं कुछ मकान बना हुआ है। पुराना खाता सं0 31 प्लॉट सं0 599 रकबा 0.30 एकड़ एवं पुराना खाता सं0 5 प्लॉट सं0 596 रकबा 0.31 एकड़ कुल रकबा 0.61 एकड़ भूमि नामांतरण वाद सं0 357/2000–01 के आदेशानुसार जीतन यादव हरिचरण यादव पिता जानकी यादव के नाम से मांगपंजी 2 के पृष्ट संख्या 106/2 में चलती है और राजस्व रसीद वर्ष 2014–15 तक निर्गत है व स्थल पर इनका दखल कब्जा है। स्थल पर इनका कच्चा मकान और खेत है।

लगातार .....

Scanned with CamScanner

1	2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	

चूँकि दोनों प्लॉटों में दोनों की जमीन पड़ती है इसलिए बीच का घेरा का विवाद है। हाल सर्वे में सुरेन्द्र प्रसाद सिंह (पूर्व विक्रेता) के नाम खाता सं0 116 के प्लॉट सं0 1145 में रकबा 0.92 एकड़ प्लॉट सं0 1147 में रकबा 2.98 एकड़ प्लॉट सं0 1151 में रकबा 3.39 एकड़ प्लॉट सं0 1143 में रकबा 0.02 एकड़ है जो सिद्धार्थ गौतम के हिस्से की भूमि है। उक्त भूमि में से प्लॉट सं0 1143 रकबा 0.02 एकड़ भूमि पर जीतन यादव का कच्चा मकान है व दखल जीतन यादव का है। सभी प्लॉट सं0 599 और प्लॉट सं0 596 से कट कर बना है। हाल सर्वे में खाता सं0 35 प्लॉट सं0 1144 रकबा 1.96 एकड़ जानकी महतो को मिला है जो पुराना खाता सं0 31 एवं 5 प्लॉट सं0 599 एवं 596 से बना है। चूँकि हाल सर्वे में नया खाता प्लॉट दे दिया गया है विवाद स्वत्व को लेकर है न कि नामांतरण विवाद का। अतः दोनों पक्ष उक्त मामलें में सक्षम न्यायालय जा सकते है।"

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल लिखित विविध अपील आवेदन पत्र, विविध अपील आवेदन पत्र का प्रत्युत्तर वो अभिलेख में संलग्न राजस्व कागजात एवं अंचल अधिकारी, रमना तथा कार्यापालक दण्डाधिकारी श्री बंशीधर नगर से प्राप्त स्थल जॉच प्रतिवेदन का गहन परिशीलन किया तथा पाया कि प्रश्नगत भूमि प्रत्यर्थी ने केवाला सं0 61 दिनांक 06.06.2008 से विक्रेता ललित कुमार सिंह पिता स्व0 सुरेन्द्र प्रसाद सिंह से प्राप्त है। जिसका नामांतरण वाद सं0 397/2008–09 से नामांतरण होकर मांगपंजी 2 के पृष्ट सं0 82/3 पर संधारित है एवं लगान रसीद निर्गत है। प्रश्नगत भूमि का हाल सर्वे के खाता सं0 116 प्लॉट सं0 1147 में रकबा 2.98 वो 1151 में रकबा 3.39 एकड़ वो 1148 में रकबा 0.12 एकड़ कुल रकबा 6.49 एकड़ भूमि विक्रेता के पिता सुरेन्द्र प्रसाद सिंह के नाम से बना है, जिस पर प्रत्यर्थी का दखल कब्जा है तथा नया खाता सं0 35 प्लॉट सं0 1144 में रकबा 1.96 एकड़ भूमि पर अपीलार्थीगण के पिता जानकी महतो के नाम से हाल सर्वे खतियान बना है। नया खाता सं0 116 प्लॉट सं0 1145 में रकबा 0.92 एकड वो खाता सं0 116 प्लॉट सं0 1143 में रकबा 0.02 एकड़ कुल रकबा 0.94 एकड़ भूमि पर अपीलार्थीगण का दखल कब्जा है। उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि उभय पक्षों का अलग–अलग भूमि पर दखल कब्जा है।

अपीलार्थीगण के द्वारा अंचल अधिकारी, रमना के नामांतरण वाद सं0 397/2008–09 में पारित आदेश के विरूद्ध ग्राम कोरगा थाना रमना के मांगपंजी 2 के पेज नं0 82/3 पर कायम है उसे **जमाबंदी सुधार/रद्द करने हेतु** विविध अपील आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसलिए इस विविध वाद में आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

अतः उक्त तथ्य के आलोक में आवेदकगण के द्वारा ग्राम कोरगा थाना रमना के मांगपंजी 2 के पेज नं0 82/3 पर कायम है उसे **जमाबंदी सुधार/रद्द करने हेतु** दाखिल विविध अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है। इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

23/12/3

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री वंशीधर नगर।

23/12/3

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री वंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.06.10 15:21:14 +05:30
Location: 192.168.1.36

Scanned with CamScanner